## प्रेस नोट जनपद फतेहगढ़ दिनांक 30.09.2020

श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ डा0 अनिल कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन मे जनपद फर्रुखाबाद मे मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री अजय प्रताप के निकट परिवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी नगर श्री मन्नीलाल गौड के नेतृत्व मे जनपद फर्रुखाबाद में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु अपराधियो के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही हेतु अभियान चलाया जा रहा है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय अभि0 शिशुपाल पुत्र स्व0 सेवाराम नि0 कालीवाडी थाना बारादरी जनपद बरेली (गैंगलीडर) ने अपना एक संगठित गिरोह बना लिया है जो अपने भौतिक एंव आर्थिक लाभ के लिये सामूहिक स्वापक औषधि व मनःप्रभावी पदार्थ अधि0 1985 के अन्तर्गत अपराध करते हैं। जो विधि विरूद्ध कार्य कर धन संचित कर अपना व अपने परिवार एंव अपने गैंग के सदस्यो का विलासिता पूर्ण जीवन यापन करते हैं। इनके समाज विरोधी कृत्यों से जनता में इनका भय व आतंक व्याप्त है सहसा इनके विरूद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने एंव थाना पर सूचना देने को तैयार नही होता है। उक्त अभियान के दौरान दिनांक 29.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक फर्रुखाबाद श्री वेद प्रकाश पाण्डेय द्वारा अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले उपरोक्त अभि0गणों के विरूद्ध गैगस्टर अधि0 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0 913/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगस्टर अधि0 का मुकदमा थाना कोतवाली फर्रुखाबाद पर पंजीकृत किया गया है।

### अभियुक्त –

(1) शिशुपाल पुत्र स्व0 सेवाराम नि0 कालीवाडी थाना बारादरी जनपद बरेली उम्र 47 वर्ष (गैंग लीडर)
(2) प्रेमसिंह उर्फ रामसिंह पुत्र आशाराम नि0 जोगी नबादा थाना बारादरी जनपद बरेली उम्र 55 वर्ष (गैंग सदस्य)

### आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 509/20 धारा 20/22 NDPS ACT
2. मु0अ0सं0 913/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगस्टर अधि0

Scanned with CamScanner